

आयुक्त,
गुरादाबाद मण्डल,
गुरादाबाद।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रोत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 428/27-59 (2008-09) जे0ए0

दिनांक : 08 जनवरी, 2015

विषय - यूनिवर्सल एकेडमी बिजनौर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।
एहोदय,

उपरोक्त विषय का और आपका ध्यान आकृष्ट करने हेतु जगता जाता है कि यूनिवर्सल एकेडमी बिजनौर को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- 2- विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से शिक्षा अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का प्राथमिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुभूत वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुभूत सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8- विद्यालय का शिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष तैयार किया जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन एवं अन्य अवस्थापन सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का संचालन अनापत्ति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अभिलेखों में उल्लिखित ग्राम गड़वाला परगना बिजनौर तहसील बिजनौर जिला बिजनौर में स्थित भूमि खाता संख्या 00108 गाटा संख्या 70 क्षेत्र 0.511 है0, तथा खाता संख्या 00068 गाटा संख्या 73 क्षेत्र 0.525 है0 (कुल 1.036 है0) (पंजीकृत लीज डीड दिनांक 14-12-2011 के अनुसार) एवं खाता संख्या 00054 गाटा संख्या 72 क्षेत्र 0.513 है0, (पंजीकृत लीज डीड दिनांक 12-08-2014 के अनुसार) (कुल 1.549 है0) भूमि में निर्मित भवन व भूमि पर ही शिक्षा जायगा, भूमि का प्रयोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र संचालित करने पर यह अनापत्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(सचिव का)

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा निदेशक (मा0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- जि.सा.धिकारी बिजनौर।
- 5- संयुक्त शिक्षा निदेशक, द्वादश मण्डल, गुरादाबाद।